Original original

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना-15, दिनांक- 29.6.06

संख्या-9/सं0सं0-20-102/99-का0-6216 /भारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सचिवालय लिपिकों की भर्ती एवं सेवाशर्त्तों के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।- (1) यह नियमावली "बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006" कही जा सकेगी ।

(2) यह तुरत प्रवृत होगी ।

2. परिभाषाएँ ।- इस नियमावली में, जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि;

(ख) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा;

(ग) "कोटि" से अभिप्रेत है, नियम-3 में विनिर्दिष्ट कोटि;

(घ) "सीधी भर्त्ती से नियुक्त व्यक्ति" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकार द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त व्यक्ति;

(ङ) "संलग्न कार्यालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे कार्यालय;

(च) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है- संबंधित विभागों के आयुक्त एवं सचिव/सचिव;

(छ) "परिवीक्षाधीन" से अभिप्रेत है निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में परिवीक्षाधीन रूप से नियुक्त व्यक्ति;

(ज) "सामान्य वरीयता सूची" से अभिप्रेत है नियत तिथि की स्थिति तथा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनायी जानेवाली विनियमावली के अनुसार समय-समय पर पुनरीक्षित, सेवा के कर्मचारियों की वरीयता सूची, जिसका संधारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग करेगा;

(झ) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ।